संख्या-51/1133/24-1-15-647(बजट)/2014

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 22 मई, 2015**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि से विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को जारी किये गये बन्ध पत्रों पर देय ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-331/मप्र(वित्त)/विप्र-2/268/आय-व्ययक/2015-16, दिनांक 15.05.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-09 के लिए आयोजनेत्तर मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 11,00,29,67,000/- (रूपये ग्यारह अरब उनतीस लाख सड़सठ हजार मात्र) में से धनराशि रूपये 4,34,94,96,000/- (रूपये चार अरब चौंतीस करोड़ चौरानबें लाख छियान्नबें हजार मात्र) को शासनादेश संख्या- 36/780/24-1-15-647 (बजट)/2014, दिनांक 01.04.2015 एवं धनराशि रूपये रूपये 73,80,09,000/- (रूपये तिहत्तर करोड़ अस्सी लाख नौ हजार मात्र) को शासनादेश संख्या- 38/827/24-1-15-647 (बजट)/2014, दिनांक 09.04.2015 द्वारा कुल धनराशि रूपये 508,75,05,000/- (रूपये पॉच सौ आठ करोड़ पचहत्तर लाख पॉच हजार मात्र) की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अब अवशेष प्राविधानित धनराशि में से रूपये 63,67,92,000/- (रूपये तिरसठ करोड़ सड़सठ लाख बान्नबें हजार मात्र) को आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते है :-

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय विद्युत वितरण निगमों की वित्तीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत वचनबद्ध व्यय है, अत: इसमें किसी स्तर पर विलम्ब कदापि न किया जाय। किसी भी स्तर पर विलम्ब के लिए सम्बंधित का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व होगा।

(2) उक्त प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्तीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को जारी किये गये बन्ध पत्रों के देय ब्याज के भुगतान हेतु ही किया जायेगा।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

4- उक्त प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-आयोजनेत्तर-05-संचरण एवं वितरण - 800 - अन्य व्यय - 11 - सार्वजनिक क्षेत्र की विद्वुत वितरण कम्पनियों की पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत जारी बन्ध पत्रों पर ब्याज के भुगतान हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 को अनुदान -20-सहायक अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0-116/दस-2015, दिनांक 22 मई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

सुरेश कुमार शर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- /1133(1)/24-1-15, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार शर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in